



## छत्तीसगढ़ विधान सभा

### पंचम विधान सभा - चतुर्थ सत्र

(दिनांक 25 नवंबर, 2019 से 02 दिसंबर, 2019 तक )

#### सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	08 दिन
बैठकों की संख्या	06
प्रश्नों पर चर्चा	04 घंटे 29 मिनट
द्वितीय अनुपूरक अनुमान	02 घंटे 50 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	30 घंटे 10 मिनट

#### प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	1472
तारांकित प्रश्न	788
अतारांकित प्रश्न	684
ग्राह्य तारांकित	639
ग्राह्य अतारांकित	566
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	1205
सदन में उत्तरित	40

#### नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

नियम 52 के अधीन प्राप्त सूचना	04
ग्राह्य	00
अग्राह्य	04
सदन में चर्चा	00

### शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	08	
सदन में पारित	08	(एक विनियोग विधेयक सहित)

### नियम 139 की सूचनाएं

प्राप्त सूचनाएं	04
अग्राह्य	निरंक
ग्राह्य	03
विभागीय टीप/लंबित	01

### विशेषाधिकार भंग की सूचना

प्राप्त सूचना	04
ग्राह्य सूचना	00
अग्राह्य सूचना	03
विचाराधीन	01

### स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	63
अग्राह्य	33
ग्राह्य	16 (एक विषय)
सभा में ली जाकर अग्राह्य	14 (एक विषय)

### ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	260
अग्राह्य	125
ग्राह्य	74
शून्यकाल में परिवर्तित	61

### नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	85
ग्राह्य	70
अग्राह्य	15
व्यपगत	23

### अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	17
ग्राह्य	09
अग्राह्य	08
चर्चा	03
बजट सत्र 2019 की ग्राह्य	05
स्वीकृत	02
अस्वीकृत	01

### याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	96
ग्राह्य	24
अग्राह्य	72
सदन में प्रस्तुत	22
व्यपगत	02

### अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अध्यादेश	02
पटल पर रखे गये	02

### अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	07
पटल पर रखे गये	07

## **वित्तीय कार्य**

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, विचार तथा पारण ।

### **विशेष चर्चा**

भारतीय संविधान के अंगीकरण की सत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चर्चा .

### **राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा**

प्राप्त प्रतिवेदन	13
पटल पर रखे गये प्रतिवेदन	13

### **विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना**

1. कार्यमंत्रणा समिति	01
2. लोक लेखा समिति	01

### **राज्य के बजट से संबंधित एवं अन्य जानकारियों का पटल पर रखा जाना**

1. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा 1 की अपेक्षानुसार वर्ष 2019-2020 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा ।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2017-2018 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन ।
3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-1)।

4. जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जिला-बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला-सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम सिलगेर एवं चिमलीपेटा में दिनांक 28-29 जून, 2012 की रात्रि सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन .

<b>पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा</b>	25 नवंबर, 2019 से 02 दिसंबर, 2019 तक सत्र के दौरान माननीय सदस्यों को पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में पुस्तकालय संदर्भ 65 उपलब्ध कराये गये ।
<b>छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट</b>	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में दिनांक 25 नवंबर, 2019 से 2 दिसंबर, 2019 तक सत्रावधि के दौरान वेबसाईट पर लगभग 21400 विजिटर्स द्वारा अवलोकन किया गया ।
<b>छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश पत्र</b>	प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा के 800, प्रतिष्ठित दीर्घा के 2000 एवं दर्शक दीर्घा के 3500 इस प्रकार कुल 6300 प्रवेश पत्र जारी किए गए ।
<b>छत्तीसगढ़ विधान सभा का भ्रमण/कार्यवाही का अवलोकन</b>	विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 1430 छात्र- छात्राओं को विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन/ परिसर का भ्रमण कराया गया।